परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति द्वारा प्रेषित सुझाव पत्र दिनांक 18.02.2015 के सन्दर्भ में माननीय परिवहन मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01.04.2015 तथा दिनांक 08.06.2015 को पुन: प्रबन्ध निदेशक के साथ हुई समीक्षा बैठक की कार्यवाही ।

क्र0	सुझाव/मांग	कार्यवाही/निर्णय
1	निगम की बसों की अकुपैसी बढाने पर बल दिया जाए । निगम के सभी रुटस के टाईम टेबलस का विश्लेषण किया जाए । अपनी बसों के समानान्तर परिचालन की पहचान कर उसे कम किया जाए । सवारियों की उपलब्धता के अनुसार टाईम टेबल या तो बदले जाएँ या समायोजित किए जाएँ । टाइम टेबल की लगातार मॉनिटरिंग तथा जनता की आवश्यकताओं व निगम की सेवाओं में तालमेल बैठाने के लिए सबंन्धित क्षेत्र में चलने वाले चालक, परिचालक व निरीक्षक से लगाातार फीड बैक लिया जाये क्योंकि वह फील्ड में जनता के संपर्क में रहते है । ऐसे रुटों की पहचान की जाये जिन्हें छुटियों के दिनों में रोका या संबद्व किया जाए । एक तरफ खाली चलने वाले रुटों की पहचान कर उन्हें बंदउ या समायेाजित किया जाए । नए रुटों की पहचान की जाए जहाँ निगम को अच्छी आय अर्जित हो ।	सभी निजी बसों के टाईम-टेबल व रुट परमिट उपलब्ध करवाने बारे निदेशक परिवहन, हिमाचल प्रदेश से एक बार पुन: आग्रह किया जाएगा । बैठक में जे0सी0सी0 के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि यदि इस मामले में शीघ्र ठोस निर्णय नही लिया गया तो मजबूरन वे माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश में एक जनहित याचिका दायर करेगें । बैठक में आर0टी0ओ0, हमीरपुर द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम से बीना एन0ओ0सी0 लिए निजी बस मालिको को रुट परमिट व टाईम-टेबल जारी किए जाने पर कडा एतराज जताया गया है । यह मामला निदेशक परिवहन, हिमाचल प्रदेश के ध्यान में लाया जाएगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताएँ न बरती जाए ।
2	निजी बसों के टाइम टेबल व रुट परमिट चेक करने व उनका अनाधिकृत संचालन रोकने के लिए प्रबंधन व कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की एक समिति प्रत्येक स्तर पर बनाई जाए जिसकी रिर्पोट पर उचित कार्यवाही हो । यह समिति आर.टी.ओं. के पास निगम की बसों के टाइम टेबल का बचाव तथा निजी बसों को एकतरफा दिये जाने वाले समानान्तर टाइम टेबल का विरोध करने का कार्य भी करेगी ।	निजी बसों के टाइम-टेबल व रुट परमिट की चैकिग के लिए निदेशक परिवहन, हिमाचल प्रदेश के अनुसार एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें बस अड्डों पर अवैद्य संचालन की चैकिंग हेतु एक सदस्य बस अड्डा प्रबन्धन एवम् विकास प्राधिकरण का भी होगा जो प्रतिदिन चैकिग रिपोर्ट हिमाचल पथ परिवहन निगम को देगा ।
3	संबन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना निजी बसों को कोई भी रुट परमिट/टाइम टेबल न दिया जाए ।	निदेशक परिवहन, हिमाचल प्रदेश को इस मांग के बारे अवगत करा दिया गया है कि कोई भी रुट क्षेत्रीय प्रबन्धक से एन0ओ0सी0 लिए बिना न दिया जाए तथा यह भी निर्णय हुआ कि इस बारे सरकार को लिखा जाएगा ।
4	राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्गो पर निजी बसों के रुट परमिट कम किए जाएँ । 60:40 की निति का उलंघन कर निजी बसों को दिए गए रुट परमिट रद्ध किये जाएँ ।	टाईम-टेबल हेतु एन0ओ0सी0 केवल सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक ही जारी करेगें । इसके अतिरिक्त निदेशक परिवहन से आग्रह किया जाएगा कि पहले टाईम-टेबल फ्रेम किया जाए व तत्पश्चात ही निजी बस मालिकों को रुट परमिट जारी किए

		जाए ।
5	कॉट्रैक्ट कैरेज परमिट की वाल्वो, ए0सी0 बसों तथा मैक्सी केब का स्टेज कैरेज के रुप मे अवैद्य संचालन रोका जाए । हि. प्र. टूरिजम की वाल्वो बसे भी इसी तरह चल रही है ।	इस मामले में पहले आर.टी.ओ. से आवश्यक सूचना एकत्रित की जाएगी तथा साथ ही साथ निदेशक परिवहन से हिमाचल पथ परिवहन निगम व आर.टी.ओ. के अधिकारियों की एक सयुंक्त कमेटी के गठन का अनुरोध किया जाए जो बसों के अवैद्य संचालन को रोकेगी ।बैठक में जे.सी.सी. प्रतिनिधियों द्वारा यह भी सूचित किया गया कि यदि इस मामले मे निगम प्रबन्धन व निदेशक परविहन ने समय रहते हुए ठोस निर्णय नही लिया तो जे0सी0सी0 स्वंय अपने स्तर पर कार्यवाही करते हुए इन अवैद्य बसो के संचालन को रोकेगी तथा यदि इस बीच किसी प्रकार की तोड-फोड हुई तो उसके लिए जे.सी.सी. जिम्मेवार नही होगी । पुराने आई0एस0बी0टी0 व नए आई0एस0बी0टी0 के मध्य बसों के अवैद्य संचालन को चैक करने हेतु एक कमेटी के गठन हेतु महा प्रबन्धक, बी0एस0एम0डी0ए0 को निर्देश दिए जाएगे तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय प्रबन्ध, लोकल यूनिट को भी निर्देशित किया जाए कि वह पुराने व नये बस अड्डे के बीच हर 10 मिनट में एक बस सेवा उपलब्ध करवाये । वर्तमान मे उपरी क्षेत्र से आने वाली बसों का संचालन वाया पुराने बस अड्डे पुलिस विभाग द्वारा रोका गया है इस बारे निर्णय लिया गया कि उपायुक्त, शिमला, पुलिस अधीक्षक, शिमला व आई.जी0, पुलिस, से अनुरोध किया जाए कि शिमला में बसों के संचालन को पूर्व की भांति जनहित मे बहाल किया जाए । बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रबन्ध निदेशक, टूरिजम को लिखा जाए कि वे दिल्ली जाने वाली वाल्वो बसों का संचालन न्यू आई.एस.बी.टी. से करवाए ताकि प्रदेश में अन्य निजी बसों का बढता अवैद्य संचालन रोका जा सके ।
6	पुलिस कर्मियों की मुफत बस यात्रा सुविधा बंद की जाए । क्योंकि 100/- रुपये के बदले कई गुना अधिक सफर कर नाजायज फायदा निगम की बसों से उठा रहें है परन्तु मेहरबानी निजी बसो पर दिखाते है ।	यह मामला कैबिनट को भेजा गया है ।
7	आय अर्जित करने वाले सारे रुट राजनीतिक दबाव मे निजी बसों को दिय जा रहे है तथा घाटे के	बैठक में निर्णय लिया गया कि अन्तर्राज्य रुटों को वाया-वाया न चलाया जाए । भविष्य मे

	सारे रुटों पर जनता, जनप्रतिनिधि व सरकार जनहित के नाम पर निगम को बसें चलाने के लिए मजबूर करते है । आय को प्रभावित करने के लिए निगम की अनेक बसों को वाया-वाया करवा दिया जाता है । प्रतिस्पर्धा करने वाले चालकों व परिचालकों को झूठी शिकायत कर स्थानान्तरित करवा दिया जाता है । निगम के ऊपर यह मुहावरा फिट बैठता है कि वोट के लिए हि.प.प. नि. तथा नोट के लिए निजी आप्रेटर । इस धारणा को एक सशक्त परिवहन नीति बना कर बदला जाना चाहिए ।	चालक-परिचालक के विरुध शिकायत पर फेस टू फेस जांच की जाएगी व जांच में निर्दोष साबित होने पर शिकायतकर्ता के विरुध कानूनी कार्यवाही की जाएगी । बैठक मे यह भी निणर्य लिया गया है कि कुछ चिन्हित स्थानों के लिए सीधी एक्स प्रैस बसें आरम्भ की जाए ताकि लम्बी दूरी के यात्रियों को टिकट लेने में परेशानी न हो ।
8	सभी रुटों की रोटेशने बनाई जाए तथा उसी हिसाब से स्टाफ की डियूटी लगाई जाए । अड्टा प्रभारी रुट पर बस भेजने से पहले सुनिश्चित करें कि गाडी साफ सुथरी है ।	सभी डिपो के रुटों की रोटेशने बना दी गई है लेकिन वर्तमान में परिचालकों की कमी के कारण रोटेशन लागू करने में कठिनाई आ रही है । जैसे ही पर्याप्त स्टॉफ उपलब्ध हो जाएगा, तुरन्त रोटेशन प्रणाली लागू कर दी जाएगी । बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि लम्बी दूरी के रुटों का डियूटी रोटेशन 15 दिन के लिए बनाया जाएगा ताकि चालक व परिचालक को अपनी डियूटी का पता 15 दिन पहले लग सकें । इस रोटेशन के अन्दर सप्ताहिक अवकाश व बस मुरम्मत दिवस भी शामिल किए जाएगें । बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जे.सी.सी. प्रतिनिधि इस विषय पर अपना संयुक्त तर्क अगली बैठक मे प्रस्तुत करेगें ।
9	बस बॉडी का डिजाईन इस तरह का बनाया जाए जो सवारियों को देखने में अच्छा तथा सफर करने में आरामदायक लगे । शीशों के चेनल व रबड बीडिग तथा सीटों में अच्छी गुणवत्ता का सामान लगाया जाए ताकि कम से कम पाँच साल तक न तो बॉडी में रैटलिंग हो और न ही सीट कवर फटे । चालक परिचालक को सोने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए । सभी सामान्य बसों में ब्लोयर लगाए जाएँ ।	भविष्य में बसों की बॉडी एक ही पैर्टन पर बनाई जाएगी जो स्टैण्डर साईज की होगी तथा इसमें चालक/परिचालक के सोने की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी । जे0एन0ए0यू0आर0एम0 बसों को छोड कर बाकी सभी बसों का रंग एक जैसा होगा । कर्मशाला स्टाफ के पद वर्तमान फलीट के हिसाब से नार्म के आधार पर बढाये जाएगें । जे.एन.एन.यू.आर.एम. बसों में परिचालक के लिए पिछले दरवाजे के साथ खिडकी वाली सीट बैठने के लिए निर्धारित की जाएगी । सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों को बसों की साफ-सफाई पर विषेश ध्यान देने के निर्देश जारी किए गए है । बसों की परोटो टाईप बॉडी के निरीक्षण हेतु जे0सी.सी0 सदस्य को भी सम्मलित किया गया है ।
10	येलो कार्ड की सीमा 10 कि.मी. व 60 कि.मी.	बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जे.सी.

	के बीच की जाए तथा वैद्यता 5 वर्ष के बजाये एक वर्ष की जाये ।	सी. प्रतिनिधि इस विषय पर अपना संयुक्त तर्क अगली बैठक में प्रस्तुत करेगें ।
11	प्रत्येक रुट, बस व चालक की दैनिक डीजल औसत का विश्लेषण कर कम औसत के कारणें की जांच की जाए । इसके लिए प्रत्येक यूनिट में एक विशेष कंप्यूटर तथा सॉफटवेयर दिया जाए जिससे डाटा विश्लेषण में आसानी हो । अच्छी औसत देने वाले चालकों को पुरस्कृत किया जाए ।	बैठक में निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय प्रबन्धक स्तर पर ईनाम राशी बढाई जाएगी तथा 6 मास में मण्डलीय प्रबन्धक व साल में एक बार मुख्य कार्यालय स्तर पर अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों को ईनाम दिया जाएगा । इस विषय पर जे.सी.सी. प्रतिनिधि अपना तर्क अगली बैठक मे प्रस्तुत करेगे ।
12	कम आय वाले रुटों व परिचालकों की पहचान कर इसके कारणों की जाँच की जाए । अच्छी आय देने वाले परिचालकों को पुरस्कृत किया जाए ।	अच्छी आय व डीजल एवरेज देने वाले परिचालकों व चालकों को मु0 50,000/-, 30,000/- व 20,000/- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार राशि दी जाएगी । इसके अतिरिक्त कर्मशाला मे बसों की अच्छी मुरम्मत करने वाले कर्मचारियों को भी इनाम राशि दी जाएगी । इस विषय पर जे.सी.सी. प्रतिनिधि अपना तर्क अगली बैठक मे प्रस्तुत करेगें ।
13	सभी बस अड्डों पर लोगों की सुविधा के लिए बसों की उचित एनांउसमेंट हो तथा प्रत्येक बस अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले लगाई जाए ।	सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों से इस बारे विवरण मांगा गया है कि कहाँ-कहाँ पर एनांउसमेंट व डिजिटल डिस्प्ले लगाने का कार्य किया जाए तथा तीन महीने के अन्दर सभी बस अड्डों पर सी.सी. कैमरे लगाना का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा ।
14	शहरी आप्रेशन मे कि.मी. पूरे करके स्टॉफ की डियूटी पूरी करने पर बस देने के बजाए आय अर्जित करने पर बल दिया जाए ।	बैठक मे निर्णय लिया गया कि यह कार्य मण्डलीय प्रबन्धक व्यक्तिगत तौर पर देखगे तथा लगातार मॉनिटरिंग करेगे ।
15	गाडियों की उचित मुरम्मत सुनिश्चित की जाए ताकि ब्रेक डाउन को कम किया जा सकें । अच्छी गुणवत्ता के कलपुर्जे समय पर उपलब्ध करवाए जाए ताकि घटिया कलपुर्जो के समय से पूर्व फेल होने के कारण बार-बार होने वाले खर्च तथा कर्मचारियों पर पडने वाले अतिरिक्त कार्य के बोझ को कम किया जा सके । 10 प्रतिशत रिजर्व फलीट रखा जाए ।	बैठक को सूचित किया कि अभी तक ऐसा कोई भी मामला प्रकाश में नही आया है फिर भी यदि ऐसा मामला किसी कर्मचारी के ध्यान में आता है तो उसे तुरन्त निगम प्रबन्धन के ध्यान में लाया जाए । एल0-1 के आधार पर फर्म से लिए गए कल-पुर्जे की 6 मास की परफारमैन्स नोट की जाती है तथा उसी आधार पर फर्म को स्वीकार व अस्वीकार किया जाता है । नई शड्यूलींग के तहत आरक्षित फलीट 8 प्रतिशत रखा जाएगा ।
16	सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को व्यावसायिक तथा लोक व्यवहार का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए ।	यह मामला निगम प्रबन्धन के विचाराधीन है तथा इस पर शीघ्र ही कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा समन्वय समिति द्वारा नामित पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षण देने हेतु शामिल

		किया जएगा ।
17	राजनीतिक दबाव में रुट चलाने की प्रथा को बंद किया जाए । जहाँ परिवहन के अन्य विकल्प है वहाँ ट्रायल पर रुट चलाया जाए तथा अकुपेन्सी/आय को आधार मान कर ही उसे बहाल किया जाए ।	इस विषय पर कमांक 5 व 7 पर विस्तृत चर्चा की जा चुकी है ।
18	स्वारियों की संख्या तथा सडक की स्थिति का विश्लेषण कर तय किया जाये कि किस रुट पर कितने सीटर बस भेजी जाये ।	डाटा एकत्रित किया जा रहा है तथा सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों को निर्देश दिए जाएगे कि रोड की स्थिति के आधार पर ही रुट पर बसें भेजे ।
19	बिना टिकट यात्री को दण्ड पर बल दिया जाए ताकि यात्रियों को टिकट लेने पर बाध्य किया जा सकें । निरीक्षक स्टाफ बढाया जाये ।	इस विषय पर जे.सी.सी. प्रतिनिधि अपना संयुक्त तर्क अगली बैठक मे प्रस्तुत करेगें ।
20	सभी क्षेत्रीय प्रबन्धकों को माह मे कम से कम 15 दिन फील्ड निरीक्षण में रहने के निर्देश दिए जाये ।	निर्णय लिया गया कि सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक महीने में 10 दिन फिल्ड मे जा कर निरीक्षण करेगें तथा सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक व यातायात प्रबन्धक सुनिश्चत करेगे की व महीने मे कम से कम 7 दिन बसों मे यात्रा करेगे व जे0सी0सी0 सदस्य इस बारे प्रबन्ध निदेशक को फिड बैक देगें ।
21	वैट लीजिंग स्कीम को दोबारा न अपनाया जाए क्योंकि पूर्व मे इसके परिणाम नकारात्मक रहे है ।	वैट लिजिग बसों से अभी तक मु0 8.50 करोड की आय हुई है आय से सम्बन्धित दस्तावेज जे.सी.सी. को दिए जाएगें ।
22	बी.ओ.डी. की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही तथा मुख्यालय से जारी होने वाले सभी सामान्य अनुदेशों की प्रति पूर्व की भांति सचिव, सयुंक्त समन्वय समिति को दी जाए ।	बैठक मे निर्णय लिया गया कि आगे से सभी कार्यालय आदेश, निर्देश, बैठक कार्यवाही व आवश्यक सूचनाएँ हिमाचल पथ परिवहन निगम की वैब-साईट पर डाली जाएगी ।
23	मण्डलीय कार्यालयों को बन्द किया जाए । क्षेत्रीय प्रबन्धकों तथा मण्डलीय प्रबन्धकों के साथ संबद्ध गाडियों को वापिस लिया जाए । जरुरी कार्य के लिए पूल से गाडियाँ जारी की जाए ।	बैठक मे निर्णय लिया गया कि मण्डलीय प्रबन्धकों की प्रत्येक कार्य के प्रति जवाबदेयी तय की जाएगी ।
24	संयुक्त समन्वय समिति तथा अधिकारियों के एक दल का आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा गुजरात जैसे सफल राज्यों की परिवहन व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए दौरा करवाया जाए ।	बैठक मे निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो परिवहन व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए दौरा करेगी ।
25	प्रबन्धन मे कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए । सयुंक्त समन्वय समिति व प्रबन्ध निदेशक के बीच तीन माह मे एक बैठक अवश्य की जाए । संयुक्त समन्वय समिति को मुख्यालय मे दिया गया ऑफिस रुम पुन: प्रदान किया जाए । संयुक्त समन्वय समिति द्वारा यचनित दो प्रतिनिधियें को ऑफिस में बैठने की अनुमति दी जाए जो	निगम प्रबन्धन द्वारा प्रत्येक स्तर पर कर्मचारी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है । जे. सी.सी. सदस्यों ने तीन महीने के स्थान पर मासिक बैठक निर्धारित करने के लिए प्रबन्ध निदेशक का धन्यवाद किया । जे.सी.सी. को कार्यालय हेतु कमरा देने की कार्यवाही कार्यकारी निदेशक करेगें । इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया

	कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में प्रशासन की मद्द कर बेहतर संवाद स्थापित करेगें तथा अनाधिकृत, बिना परमिट व बिना टाइम टेबल निजी बसों के संचालन की अपने स्तर पर छानबीन कर उसे निगम प्रबन्धन के ध्यान में लाने का कार्य भी करेंगे ।	कि अभी कर्मचारियों की कमी को देखते हुए जे. सी.सी. का कोई भी सदस्य कार्यालय मे बैठने के लिए स्पेयर नही किया जा सकता है ।
26	वर्तमान मे निगम कहने के लिये ही स्वायत संस्था है । वास्तव में इसका 100 प्रतिशत संचालन सरकार के हाथ में है । निगम प्रबन्धन राजनैतिक दबाव के आगे हमेशा झुकता आया है । इसलिए इसके संचालन का सारा खर्च स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण की तरह सरकार उठाए तथा हि.प.प.नि. को जन कल्याण सेवा घोषित कर इसे विभाग का दर्जा देकर रोडवेज बना दिया जाए ।	यह मामला सरकार से सम्बन्धि है तथा इस पर निरन्तर प्रयास जारी है ।पैन्शन से सम्बन्धित मामला जल्दी ही प्रदेश सरकार के समक्ष रखा जाएगा ।

प्रबन्ध निदेशक
हिमाचल पथ परिवहन निगम,
शिमला–1710.03.

हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति

1. चालक-परिचालक संगठन 2.एटक 3 तकनीकी कर्मचारी संगठन 4.परिवहन कर्मचारी महासंघ 5.सर्व कर्मचारी यूनियन 6.हि0प0प0नि0 ड्राईवर यूनियन 7.मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन 8.स्टोर स्टाफ एसोसिएशन 9.परिचालक कर्मचारी संगठन

दिनांक-01.04.2015

दिनांक-

कमांक	कर्मचारियों की समस्याएँ	समाधान
1.	सभी वर्गों मे स्टाफ की समुचित भर्ती की जाए ।	कार्यकारी निदेशक इस मामले पर कार्यवाही करेंगे ।
2.	भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संगठनों की सहमति से संशोधन को अंतिम रूप दिया जाए ।	भर्ती एवं पदोन्नति नियमो में संगठनों की सहमति से ही संशोधन को अंतिम रूप दिया जाएगा ।
3.	कर्मशालाओं की मुरम्मत तथा वहाँ की कार्यशालाओं में सुधार किया जाए ।	Jnnurm के तहत मिल रही ग्रांट से कर्मशालाओ की मुरम्मत की जायेगी ।
4.	तकनीकी वर्ग के रोके गए लाभ, जैसे: 4-9-14 की एसीपी योजना, सेवानिवृत कर्मचारियो की पेन्शन निर्धारण तथा सभी वर्गों की पदोन्नति को वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार बहाल किया जाए ।	कार्यकारी निदेशक इस मामले पर पुनः विचार करेंगे ।
5.	जिन वर्गों मे कर्मचारियों की 20 वर्षों तक कोई पदोन्नति न हुई हो उन्हें चालकों की तर्ज पर विशेष वेतन वृद्धियाँ प्रदान की जाएं ।	कार्यकारी निदेशक इस मामले पर विचार करेंगे ।
6.	वर्दी राशि 3000/- रूपये वार्षिक तथा धुलाई भत्ता 150/- रूपये प्रति माह किया जाए ।	मण्डलीय प्रबन्धक(तकनीकी) इस मामले में कार्यवाही करेंगे ।
7.	वैट लीजिंग स्कीम को पुनः शुरू न किया जाए ।	वेट लीजिंग बसों की आय एवं व्यय का ब्यौरा प्रबन्ध निदेशक के समक्ष रखा जाऐगा ।
8.	निगम को रोडवेज बनाया जाए।	यह मामला सरकार के विचाराधीन है।
9.	पेंशन के लिए प्रदेश सरकार के बजट में प्रावधान किया जाए । पेंशनरों तथा कर्मचारियों के सभी देय वितीय लाभ समय पर जारी किए जाए ।	पेंशन के लिए आईटम केबिनेट को भेज दी गई है ।
10.	लम्बित अतिरिक्त समय भत्ता का 30	लम्बित अतिरिक्त समय भत्ते का 30

	प्रतिशत भुगतान एक महीने के अन्दर किया जाएंण	प्रतिशत भुगतान जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा।
11.	सभी अनुबन्ध कर्मचारियों को रात्री भत्ता मु0 130/- रूपये दिया जाए ।	इस संदर्भ में सभी HRTC कार्यलयों को पुनः निर्देश दिये जाएंगे ।

प्रबन्ध निदेशक,
हिमाचल पथ परिवहन निगम,
शिमला-171003